

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, एवं पदेन भू-अभिलेख अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :- श्री विश्वजीत सिंह, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन नम्बर :- 55/2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2024/184

अनवान

1. श्री चारभुजाजी स्थान देह जरिये अध्यक्ष चारभुजा बड़ा मन्दिर सेवा समिति लेहरूलाल पिता हीरा जाट निवासी पालरां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

1. भैरू पिता श्रीराम तेली निवासी पालरां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. भुरा पिता श्रीराम तेली निवासी पालरां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. चुना पिता काना बैरवा निवासी पालरां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. मोहन पिता किशोर बैरवा निवासी पालरां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. डाली पत्नि लालु बैरवा निवासी पालरां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. बालु पिता पारस बैरवा निवासी पालरां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. पारस पिता किशोर बैरवा निवासी पालरां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. देबु पिता पारस बैरवा निवासी पालरां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. सुवा पिता खुमा बैरवा निवासी पालरां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956
(वास्ते-विवादित भूमि की पत्थरगढ़ी करने बाबत)

उपस्थित

1. जाकिर हुसैन रंगरेज - प्रार्थी अधिवक्ता
2. रितेश सुराणा - अधिवक्ता विपक्षी संख्या 3 लगायत 7, 9
3. विपक्षी संख्या 1, 2 एकपक्षीय

निर्णय

दिनांक:-20.02.2025

1. संक्षिप्त में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि राजस्व ग्राम पालरां पटवार हल्का पालरां तहसील रायपुर के खेत के खाता संख्या 555 में अंकित आराजी संख्या 2274 रकबा 0.03 है0, आराजी संख्या 2275 रकबा 0.12 है0, आराजी संख्या 2276 रकबा 0.22 है0, आराजी संख्या 2277 रकबा 0.33 है0, आराजी संख्या 2278 रकबा 0.06 है0 कुल कित्ता 5 कुल रकबा 0.76 है0 भूमि स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबंदी मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की हैं। प्रार्थी की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के मुश्तकील निशानात नहीं होने से प्रार्थी को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने व मवेशी चराने में दरम्यान पक्षकारान आपस में सीमा सम्बन्धी विवाद बना रहता है जिससे प्रार्थी को अपनी आराजियात की पत्थरगढ़ी




सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) रायपुर

कराना आवश्यक हो गया है। प्रार्थी ने विपक्षीगण को कई मर्तबा को उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी कराने बाबत् कहा लेकिन विपक्षीगण हरबार टालमबाजी का जवाब देते है। प्रार्थी ने विपक्षीगण को अन्तिम बार दिनांक 25.05.2024 को कहा लेकिन विपक्षीगण इन्कार हो गये, जिससे प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा है। अतः प्रार्थी द्वारा उक्त वर्णित आराजियात की पत्थरगढ़ी कराये जाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। बावजूद सम्यक् तामील विपक्षी संख्या 1, 2 को पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने पर उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। विपक्षी संख्या 3 लगायत 7, 9 के अधिवक्ता रितेष सुराणा उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया एवं विपक्षी संख्या 8 के विरुद्ध प्रार्थी अधिवक्ता कोई कार्यवाही नहीं चाहते है।
3. विपक्षी अधिवक्ता ने अपने जवाब में अंकन किया कि उक्त वर्णित भूमि चारभुजाजी स्थान देह के नाम दर्ज होना स्वीकार है। उक्त आराजियात के चारो ओर सीमा के मुश्तकील निशानात होकर 70-80 वर्षों से कब्जा चला आ रहा है। उक्त वर्णित भूमियां सुरक्षित होकर अन्य का कभी दंखल नहीं रहा है। विपक्षीगण 70-80 वर्षों से काबिज है तथा लेहरूलाल जाट व अन्य व्यक्तियों ने एक गुट बना रखा है। बिनाय वाद के अभाव में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने योग्य है। मजीद कथन के रूप में निवेदन किया कि लेहरूलाल जाट स्वयं को चारभुजाजी मन्दिर की भूमि के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई कार्यवाही करने का अधिकार नहीं है क्योंकि कोई सेवा समिति नहीं बनी हुई है न ही लेहरूलाल उसका अध्यक्ष है। ऐसा कोई उक्त आशय का आवश्यक दस्तावेज पेश किया जाता जो पेश नहीं किया गया है। विपक्षीगण को परेशान करने की नियत से प्रस्तुत प्रार्थना खारीज फरमाया जाना आवश्यक हो गया है।
4. उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम पालरां पटवार हल्का पालरां तहसील रायपुर के खेत के खाता संख्या 555 में अंकित आराजी संख्या 2274 रकबा 0.03 है0, आराजी संख्या 2275 रकबा 0.12 है0, आराजी संख्या 2276 रकबा 0.22 है0, आराजी संख्या 2277 रकबा 0.33 है0, आराजी संख्या 2278 रकबा 0.06 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 0.76 है0 भूमि स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबंदी मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की है। प्रार्थी की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के मुश्तकील निशानात नहीं होने से प्रार्थी को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास




सहायक कलेक्टर
(रा.जी.ओ.) रायपुर

आदि काटने व मवेशी चराने में दरम्यान पक्षकारान आपस मे सीमा सम्बन्धी विवाद बना रहता है, जिससे प्रार्थी को अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराने हेतु आवेदन पेश किया है। विपक्षी अधिवक्ता ने अपनी बहस में जवाब में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि लेहरूलाल जाट स्वयं को चारभुजाजी मन्दिर की भूमि के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई कार्यवाही करने का अधिकार नहीं है क्योंकि कोई सेवा समिति नहीं बनी हुई है न ही लेहरूलाल उसका अध्यक्ष है। ऐसा कोई उक्त आशय का आवश्यक दस्तावेज पेश किया जाता जो पेश नहीं किया गया है। विपक्षीगण को परेशान करने की नियत से प्रस्तुत प्रार्थना खारीज फरमाया जाना आवश्यक हो गया है।

5. हमने विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड व संलग्न दस्वावेजात का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यो का विवेचन किया। जिससे स्पष्ट है कि ग्राम पालरां पटवार हल्का पालरां तहसील रायपुर के खेत के खाता संख्या 555 में अंकित आराजी संख्या 2274 रकबा 0.03 है0, आराजी संख्या 2275 रकबा 0.12 है0, आराजी संख्या 2276 रकबा 0.22 है0, आराजी संख्या 2277 रकबा 0.33 है0, आराजी संख्या 2278 रकबा 0.06 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 0.76 है0 भूमि स्थित है, जो पत्रावली में संलग्न विवादित भूमि की जमाबन्दी संवत 2075-2078 का अवलोकन करने से स्पष्ट है। इस प्रकार प्रार्थी के संलग्न विवादित भूमि अभिलिखित खातेदार है, और अभिलिखित खातेदार अपनी भूमि की पत्थरगढी करवाने के लिए स्वतंत्र है, जिसके प्रार्थी हकदार प्रतीत होता है।
6. हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए हम यहां धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 का उल्लेख करना उचित समझते हैं, जिसके अनुसार :-

धारा 128 सीमा विवाद-सम्बन्धी समस्त विवाद भू-अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 111 में निर्धारित रीति से किए जायेंगे:

1.(परन्तु खेतों के सीमाओं सम्बन्धी आवेदन-पत्र,जहां यद्यपि ऐसी सीमा के विषय में कोई विवाद विद्यमान नहीं हो किन्तु सही सीमा चिन्हों के अभाव में ऐसी विवाद उठाने की सम्भावना हो तो तहसीलदार को ही पेश किए जायेंगे तथा उसी के द्वारा निपटाये जायेंगे)

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है, कि सीमाओं में विवाद की स्थिति होने पर विवादों का निपटारा न्यायालय हाजा के स्तर से किया जाना है। हस्तगत प्रकरण में पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य सबूत उपलब्ध नहीं है, जिससे साबित होता हो कि प्रकरण में प्रश्नगत भूमि की सीमाओं को लेकर कोई विवाद हों। चूंकि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 128(1) के अनुसरण में सीमा से सम्बन्धित निर्विवाद




सहायक कलेक्टर
(सि.डी.ओ.)जयपुर

मामलों को तहसीलदार द्वारा निपटाया जाना है, अतः हस्तगत प्रकरण में हम प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि के सीमाज्ञान बाबत तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना पत्र/आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करना उचित समझते हैं।

7. उपर्युक्त विवेचन के उपरान्त न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाने हेतु तहसीलदार रायपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आवेदन करने का हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन आंशिक स्वीकार किया जाना न्यायासंगत एवं उचित प्रतीत होता है।

—: आदेश :—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में आवेदन-पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थी के सीमाज्ञान हेतु आवेदन पेश करने पर राजस्व ग्राम पालरां पटवार हल्का पालरां तहसील रायपुर के खेत के खाता संख्या 555 में अंकित आराजी संख्या 2274 रकबा 0.03 है०, आराजी संख्या 2275 रकबा 0.12 है०, आराजी संख्या 2276 रकबा 0.22 है०, आराजी संख्या 2277 रकबा 0.33 है०, आराजी संख्या 2278 रकबा 0.06 है० कुल कित्ता 5 कुल रकबा 0.76 है० भूमि की पैमाईश करते हुए विधिनुसार कार्यवाही करने हेतु तहसीलदार रायपुर को निर्देशित किया जाता है। वक्त कार्यवाही सम्बंधित खातेदारों के मौके कब्जे में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाए तथा स्थगन होने की दशा में स्थगन की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जाए। प्रकरण में प्रश्नगत आराजी की सीमाओं में विवाद होने की दशा में मौका फर्द में इसका अंकन किया जाकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली इसी कदर निर्णीत होकर संख्या से एक कम होकर दाखिला दफ्तर हों।



आदेश आज दिनांक 20.02.2025 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।


(विश्वजीत सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलेक्टर
रायपुर जिला, भीलवाड़ा
(स.डी.ओ.)


उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला, भीलवाड़ा